RNI No. : UPHIN-2009/29369

डाक पंजीकरण : KANPUR HO/002/2025-27
प्रधान डाकघर कानपुर-डाक प्रेषण दिनांक 29/30

वार्षिक सदस्यता शुल्क 100/-

द्रविड़ भारत

www.dbindia.org.in

सामाजिक परिवर्तन का मासिक पत्र

गौतम बुद्ध

बाबा साहेब डा0 अम्बेडकर

अप्रैल-2025 | वर्ष - 17 | अंक : 03 | मूल्य : 5/-

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

सम्पादकीय

RNI No. : UPHIN-2009/29369

संपादक : उमेश्वरी देवी, मो.: 9005204074
संरक्षक मण्डल : मा. रामदीन अहिरवार (महोबा), मा. राम अवतार चौधरी (सहा.अभि. जलकल विभाग), मा. छविलाल वर्मा (चरखारी), मा. हरिनाथ राम (दिल्ली), मनीष कुमार मो. 9415053621
राज्य ब्यूरो प्रमुख उत्तर प्रदेश :
सुनील कुमार, ढेलवा, गाजीपुर (उ.प्र.), मो.: 9935363730, 9170836363
योगेन्द्र कुमार (ब्यूरो चीफ चित्रकूट मण्डल) मो.: 8299162841
हमीरपुर ब्यूरो प्रमुख - रघुवर प्रसाद, मो.: 9793739030
क्षेत्रीय सम्पादकीय कार्यालय :
40/69, डी-5, श्यामलाल का हाता, परेड, कानपुर (उ.प्र.), मो. : 8756157631
ब्यूरो प्रमुख लखनऊ मण्डल :
राजकुमार, उन्नाव
मो.: 9889273743, 9392660070
हरियाणा राज्य :
डा. रमेश रंगा, ग्राम-सराय, औरंगाबाद, पो.-बहादुरगढ़,जिला-झज्जर (हरियाणा),09416347052
कानूनी सलाहकार : एड. रामप्रकाश अहिरवार, एड. यू.के. यादव, मोती लाल वर्मा, एड. विजय बहादुर सिंह राजपूत, एड. रमाकान्त धुरिया, रामऔतार वर्मा, एड. सुशील कुमार, कानपुर
मध्य प्रदेश राज्य : पुष्पेन्द्र कुमार
कार्यालय : ग्रा. व पो.-रामटौरिया, जिला-छतरपुर
छत्तीसगढ़ राज्य : ब्यूरो प्रमुख
रमा गजभिये, मो.: 7828273934
दिल्ली प्रदेश : C/o अनिल कुमार कनौजिया C-260, हर्ष विहार, हरिनगर एक्सटेंशन पार्ट-III, बदरपुर, नई दिल्ली-44, मो. : 09540552317
राजस्थान राज्य : रघुनाथ बौद्ध, श्याम रघु फुट वियर, दुकान नं.-1, गणेश मार्केट, पुलिस चौकी के सामने, अलवर, जिला-अलवर-301001, मो. : 09887512360, 0144-3201516
बाबूलाल बौद्ध, अलवर, मो.-08058198233
संपादकीय/विज्ञापन प्रसार/पंजीकृत कार्यालय :
ग्रा व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला-महोबा (उ.प्र.)
मो. : 9005204074, 8756157631
E-mail : dravinbharat1@gmail.com
प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी
उमेश्वरी देवी द्वारा ग्रा. व पो.-रिवई (सुनैचा), जिला महोबा से प्रकाशित व श्रेय ऑफसेट प्रा. लि., 109/406, नेहरू नगर, कानपुर, 84/1, बी, फजलगंज, कानपुर से मुद्रित

प्रकाशित पत्रिका में प्रकाशित लेख, सामग्री, में संपादक की सहमति अनिवार्य नहीं है। इसमें किसी भी प्रकार का दावा या विचार मान्य नहीं होगा। लेख के विवादित होने पर लेखक ही उत्तरदायी होगा समस्त विवादों का निपटारा महोबा न्यायालय में होगा पत्रिका का संपादन एवं संचालन पूर्णतयः अवैतनिक एवं अव्यवसायिक है।

मिशन को बढ़ाने के लिए सहयोग करें -
भारतीय स्टेट बैंक
पी.पी.एन. मार्केट, कानपुर
खाता सं.-33496621020
IFSC CODE-SBIN0001784

अन्याय कमजोर लोगों के साथ होता है-कांशीराम

(सहारनपुर)

डी-एस4 के संस्थापक अध्यक्ष मा. कांशीराम जी ने 11 दिसम्बर 1983 को सहारनपुर क्षेत्र को उत्तर प्रदेश में प्रथम अन्याय मुक्त क्षेत्र बनाने की घोषणा की। स्थानीय गाँधी मैदान में डी-एस4 द्वारा आयोजित विशाल 'अन्याय मुक्त क्षेत्र निर्माण परिषद' का उद्घाटन मा. कांशीराम जी ने किया। सभा का प्रारम्भ स्थानीय काजी अब्दुल रहमान द्वारा ''तिलावत कुरान'' से हुआ।

डी-एस4 के संस्थापक अध्यक्ष मा. कांशीराम जी ने अपने भाषण में सहारनपुर व उसके आसपास के इलाकों से आये हुये साथियों को सम्बोधित करते हुए कहा कि आज का यह जलसा एक अनौखी तरह का जलसा है, जैसा कि आप लोगों को ज्ञात है कि यह अन्याय मुक्त क्षेत्र का कार्यक्रम है।

आपने आगे कहा कि मुझे पहली बार इस मैदान में साईकिल मार्च के समय आने का मौका मिला तो उस समय हमने अपने छोटे साधनों का इस्तेमाल करने की आवश्यकता को महसूस किया और आज जुलूस देखकर व यहाँ पर खड़ी साईकिलों को देखकर ऐसा लगा कि मेरे साथियों ने मेरी सलाह को माना है और बड़ी संख्या में लोग साईकिलों पर आये हैं। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ और आशा करता हूँ कि वे अन्य सभी मौकों पर, चाहे जलसे हों या चुनाव हों या अन्य मौके हों, उनमें भी साईकिलों का प्रयोग करेंगे। हमें अपने छोटे-छोटे साधनों का प्रयोग करके ही दुश्मन को बड़े साधनों के साथ पछाड़ना है। उन्होंने आगे कहा कि अनुशासन के साथ कारोबार को चलाना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। अतः हमें हमेशा ही अनुशासन के साथ आगे बढ़ना है तथा कायदे व कानून (Law and Order) के बारे में भी हमें ध्यान रखना है चाहे दूसरा रखे या न रखे। इस सभा की विशेषता बताते हुए उन्होंने कहा कि यह केवल सहारनपुर का ही नहीं बल्कि यह उत्तर प्रदेश के चार जिलों (सहारनपुर, देहरादून, मेरठ व मुजफ्फरनगर) हरियाणा के तीन जिलों (अम्बाला, करनाल व कुरूक्षेत्र) व हिमाचल प्रदेश के नाहन जिला का सहारनपुर को केन्द्र मानकर पूरा क्षेत्र होगा।

अन्याय मुक्त का उद्देश्य बताते हुए उन्होंने कहा कि जब हम दलित-शोषित समाज के बारे में बात करते हैं तो उनके साथ अन्याय की बात आती है। मैं तो कम से कम बात करता हूँ लेकिन दूसरे लोग अधिक बात करते हैं जो कि इस सबके जिम्मेदार हैं या कारण हैं। अन्याय मुक्त क्षेत्र बनाने का उद्देश्य है कि अन्याय का मुकाबला करने के लिए हमें दलित-शोषित समाज के उन लोगों को तैयार करना है जिनके साथ अन्याय होता है। हमें अन्याय दूर करने को तहैय्या करना है और इसमें समय जाया नहीं करना है। इस दिशा में यह पहला कदम है, आखिरी नहीं। अन्याय के कारणों का जानना बहुत जरूरी है, इसके एक नहीं अनेक कारण हैं उन कारणों को समझकर व उनसे सबक सीखकर आगे बढ़ना है।

मा. कांशीराम जी ने आगे बताया कि अन्याय, सबसे बड़ा कारण दलित-शोषित समाज की अपनी कमजोरी है। अन्याय कमजोर लोगों के साथ होता है। कमजोरी जिस्मानी ही नहीं होती और भी बहुत सी कमजोरियाँ होती हैं। इसका इलाज हमारी अपनी कमजोरी को दूर करके ताकत पैदा करना है। अगर हम कमजोरी को दूर कर लेते हैं तो हमारे साथ अन्याय नहीं होगा। इसके लिए अन्य ताकतों के अलावा हमें संगठनात्मक (Organisation) ताकत भी मजबूत करनी पड़ेगी। अतः हमारे सामने डी-एस4 को देश का सबसे शक्तिशाली संगठन बनाना ही उद्देश्य है। जब हम इस क्षेत्र को अन्याय मुक्त क्षेत्र बना रहे हैं तो हमारा संगठन भी इन जिलों में शक्तिशाली होना चाहिए। हम सबसे पहले संगठन को मजबूत बना सकते हैं और वह भी अपने पैरों पर खड़ा होकर।

कांशीराम जी ने आगे बताया कि आप कहेंगे कि धोखा तो हर जगह होता है और करने वाला सूखा चला जाता है, लेकिन जब हमारी शक्ति होगी तो धोखा करने वाला सूखा नही जा सकेगा। हम तो जुल्म नहीं करेंगे लेकिन एक ईंट का जवाब दो पत्थरों से देना जुल्मी के लिए जरूरी है और इसके लिए संगठन को भी इतना मजबूत बनाना है। यह कोई मामूली बात नहीं है, इसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, अतः यह संगठन की शक्ति से ही हो सकता है।

सहारनपुर में यह पहला अनुभव नहीं है। 15 अगस्त 1983 से होशियारपुर में, 10 अक्टूबर 1983 से नागपुर में, अन्यायमुक्त क्षेत्र बनाना शुरू किया है। अतः आप लोगों का काम और आसान हो जाता है।

उन्होंने आगे बताया कि आज 11 दिसम्बर है, 6 दिसम्बर को डी-एस4 दो वर्ष का हुआ है। इस संगठन को बनाने में व पूरे देश में जाल बिछाने में दो वर्ष का समय लगा है और हर दिशा में तजुर्बे किये हैं, 6 दिसम्बर से संगठन के दो वर्ष पूरे होने के अवसर पर कन्याकुमारी से 'सामाजिक संघर्ष' (Social Action) प्रारम्भ हो चुका है।

यह संघर्ष देशव्यापी होगा। कोई राष्ट्रीय राजमार्ग तथा कोई शहर ऐसा नहीं होगा जहाँ सामाजिक संघर्ष नहीं होगा। एक तरफ हम उस संघर्ष से दलित-शोषित भाईयों को तैयार कर रहे हैं और दूसरी तरफ यह शक्ति का मुजायरा होगा। दिल्ली और उसके चारों तरफ और देश में सभी जगह हो जाता है तो हमें यह भी सिद्ध करना है कि डी-एस4 के बराबर कोई संगठन नहीं है।

15 अगस्त, 1983 से अन्याय मुक्त क्षेत्र बनाना प्रारम्भ किया है। हमारा यह निश्चय है कि एक वर्ष के अन्दर इस देश का अधिक से अधिक क्षेत्र अन्याय मुक्त क्षेत्र बनाना है और यह सिद्ध करना है कि डी-एस4 की टक्कर का कोई दूसरा संगठन नहीं है। अंत में उन्होंने उपस्थित जनसमुदाय को धन्यवाद दिया और विश्वास व्यक्त किया कि वे आगे भी सभी प्रकार का सहयोग देकर कार्य करते रहेंगे।

विशाल सभा को सुरजीत सिंह कश्यप (हरियाणा), कु. मायावती (दिल्ली), एड. रतन चन्द गाँधी (जम्मू), जनाब सादिक नवाज खान (फर्रुखाबाद), प्रभु रत्नाकर वाल्मीकि, ने सम्बोधित किया। मास्टर कुतुबुद्दीन ने कांशीराम जी का स्वागत किया। संचालन एड. सईद अहमद ने किया। कु. गौतमी व कु. सुदेश ने अपनी सारी जमा-पूँजी कांशीराम जी को दान की।

(बहुजन संगठक, वर्ष 4, अंक 40, 9 जनवरी, 1984)

साभार :
मा. कांशीराम साहब के ऐतिहासिक भाषण खण्ड-2 पेज संख्या 245 से 247 तक
ए. आर. अकेला

सभ्यता या घोर असभ्यता

I. भारत की जनता के विषय में एक और दृष्टिकोण
II. उसके द्वारा दलित वर्ग का निरूपणं : (क) आदिम जनजातियां (ख) जरायम–पेशा जातियां, और (ग) अस्पृश्य वर्ग
III. इन वर्गों की स्थिति पर हिंदू सभ्यता का प्रभाव, और
IV. इन वर्गों की विभिन्न समस्याएं।

आमतौर पर भारत की आबादी का वर्गीकरण भाषाई या धार्मिक आधार पर किया जाता है। भारत के लोगों के वर्गीकरण के ये ही दो आधार हैं, जो काफी अर्से से व्यवहारित होते आ रहे हैं। इसके परिणामस्वरूप विदेशियों के मन में यह बात बैठ गई है कि भारतवासियों के बारे में जानने योग्य और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे किस धर्म का पालन करते हैं और वे कौन–सी भाषा बोलते हैं। इस सीमित दृष्टिकोण के कारण वे भारत में प्रचलित धर्मों और भाषाओं की जानकारी से ही संतुष्ट हो जाते हैं। जिस किसी विदेशी की धर्म में रुचि होती है, वह केवल यह बात याद रखता है कि भारत में जो लोग हैं, वे या तो हिंदू है या मुसलमान हैं या वह यह याद रखता है कि भारत में जो लोग बसते हैं, उनमें से कुछ मराठी बोलते हैं, कुछ गुजराती, कुछ बांग्ला और कुछ तमिल आदि भाषाएं बोलते हैं।

भारत के लोगों के वर्गीकरण के जो आधार है, उनमें से धार्मिक वर्गीकरण किसी विदेशी को अधिक प्रभावशाली और आकर्षक लगता है। इसलिए वह भाषाओं के मुकाबले धर्मों में अधिक रुचि लेता है। लेकिन फिर भी वह भारत के सभी धार्मिक संप्रदायों से परिचित नहीं होता है। वह केवल हिंदुओं और मुसलमानों को जानता है। वह कभी–कभी सिखों के बारे में सुनता है, भूले–भटके वह ईसाइयों के बारे में सुनता है, भले ही उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, और बौद्धों के बारे में तो उसे कभी कोई जानकारी नहीं हो पाती, जिनका, जहां तक आज के भारत का संबंध है, निश्चय ही कोई अस्तित्व नहीं है।

विदेशियों के मन में यह धारणा बैठ गई है कि भारत में केवल हिंदू और मुसलमान हैं और अन्य के बारे में सिर खपाने की कोई जरूरत नहीं। इस प्रकार की धारणा का होना अत्यंत स्वाभाविक है। सारे देश में हिंदू–मुस्लिम दंगों की चर्चा है। यह स्थिति कितनी गंभीर है, उसका अनुमान तो इस बात से लगाया जा सकता है कि हाल के वर्षों में कितने अधिक हिंदू–मुस्लिम दंगे हुए और उनमें कितने अधिक लोग हताहत हुए।

लेकिन यह संघर्ष अपनी–अपनी हुकूमत के लिए संघर्ष है। ऐसे ही हिंदू हैं, जो भारत में हिंदू राज स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें मुसलमानों की हैसियत केवल अधीनस्थों की होगी। ऐसे मुसलमान भी हैं, जो सब जगह इस्लाम धर्म के होने का सपना देख रहे हैं। वे भारत को एक मुस्लिम साम्राज्य का अंग बनाना चाहते हैं, जिसमें हिंदुओं के लिए ही विकल्प होगा कि वे या तो 'कुरान' को स्वीकार कर लें या फिर मौत को। इन दो कट्टर विचारधारा वाले लोगों के बीच में ऐसे नरम लोग हैं, जो ऐसा राज्य चाहते हैं, जिसमें हिंदू और मुसलमान, दोनों बराबर के साझीदार की भांति रह सकते हैं। यह तो केवल समय ही बता सकता है कि कौन सफल होगा, कट्टरपंथी या उदारपंथी। फिलहाल अखबारों की सुर्खियां दोनों तरफ से किए जाने वाले खून–खराबों से भरी रहती है। लेकिन इस सबके बावजूद मैं यह सोचता हूं कि ऐसे अनेक लोग है, जिन्हें हिंदुओं और मुसलमानों के इस संघर्ष में अधिक दिलचस्पी नहीं है। बहरहाल, यह हुकूमत हासिल करने का संघर्ष है। यह मुक्ति प्राप्त करने का संघर्ष है। यह एक–दूसरे पर हुकूमत हासिल करने का संघर्ष है। उनकी अधिक रुचि उन दलितों के संघर्षों में होगी, जो स्थान प्राप्त करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इंग्लैंड में विगों और टोरियों के बीच पुराने विवाद का वर्णन करते हुए फ्रांसिस प्लेस ने विगों की राजनीतिक नीति के बारे में कहा था कि वे एक ओर राजा को और दूसरी ओर जनता को कुचलना चाहते थे। वे अभिजात वर्ग का शासन चाहते थे। इस समय जो हिंदू तथा मुललमान संघर्ष कर रहे हैं, वे भारतीय राजनीति में वही नीति अपना रहे हैं। वे अपने–अपने वर्ग को शासक–वर्ग के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। जनता चाहे मुसलमान हो या हिंदू, उसका इस्तेमाल तो वर्ग विशेष की स्थापना के लिए केवल हथियार के रूप में किया जाता है। वर्तमान संघर्ष तो वर्गों का संघर्ष है, न कि जनता का।

जिन लोगों की जन–आंदोलनों में रुचि है, उन्हें भारत के लोगों के प्रति एक दूसरा दृष्टिकोण अपनाना होगा। उन्हें केवल धार्मिक दृष्टिकोण अपनाना छोड़ देना चाहिए। उन्हें भारत के लोगों के प्रति सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण भी अपनाना होगा। इसका यह अर्थ नहीं कि हमें यह जानने का प्रयास नहीं करना चाहिए कि धर्म ने भारत के लोगों के आर्थिक और सामाजिक जीवन को किस प्रकार प्रभावित किया है। यदि धर्म को ध्यान में न रखा जाए तो वास्तव में भारत के लोगों का कोई भी अध्ययन, चाहे वे हिंदू हों या मुसलमान, उनके जीवन का पर्याप्त चित्रण नहीं कर सकता। इसका कारण है। भारत में धर्म उसी प्रकार सर्वोपरि है, जिस प्रकार यूरोप में मध्य–युग में रोमन कैथोलिक चर्च था। ब्राइस ने लोगों के जीवन पर चर्च के प्रभुत्व का जिन शब्दों में वर्णन किया है, वह यहां उल्लेखनीय है, 'चर्च का जीवन, चर्च के लिए जीवन, चर्च के माध्यम से जीवन, वह जीवन जिसे चर्च प्रातःकालीन सामूहिक प्रार्थना सभा में आर्शीवाद और सांध्यकालीन प्रार्थना सभा में शांति प्रदान करता है, वह जीवन जिसे चर्च निरंतर होने वाले धार्मिक संस्कारों से पुष्ट करता रहता है, पाप की स्वीकारोक्ति से राहत प्रदान करता है, तप से उसे शुद्ध करता है, चिंतन और उपासना के लिए मूर्त प्रतीक प्रस्तुत कर उसे चेतावनी देता रहता है, यह था वह जीवन जिसे मध्य–युग के अनगिनत लोगों ने मानव का धर्मपरायण जीवन समझा था, अनेक लोगों का यही वास्तविक जीवन था, उनका सर्वमान्य आदर्श था।

आज भारत के लोगों के जीवन पर धर्म जिस प्रकार हावी है, वह स्थिति चर्च की उस स्थिति से लेशमात्र भी भिन्न नहीं है, जो मध्य–युग में उसकी लोगों के जीवन में थी। अतः धर्म को ध्यान में न रखना भूल होगी। लेकिन यह सोचना भी उतना ही ठीक है कि धार्मिक दृष्टिकोण कोरा सतही चित्र प्रस्तुत करेगा। अतः यह जानना अधिक महत्वपूर्ण है कि सामान्य जनता और उसके विभिन्न वर्ग के लोग भारत में किस प्रकार का जीवन यापन करते हैं? उनके सामूहिक जीवन की सामाजिक अनिवार्यताएं और आर्थिक जरूरते क्या हैं? कहां तक वे धर्म से प्रभावित हैं। हिंदू समाज के दायरे में आने वाले विभिन्न वर्ग के लोग जिस प्रकार का सामाजिक जीवन जीते हैं, उसमें इस प्रश्न का उत्तर हमें मिल जाता है।

II

यह खेद की बात है कि प्रो. मैक्स मूलर कभी भारत नहीं आए। सिद्धांत और यथार्थ में कितना अंतर होता है, इसे देखने के बाद वह संभवतः अंतर को स्पष्ट कर सकते थे। फिलहाल यह अंतर एक पहेली बना हुआ है।

यह अंतर उस ब्रह्म सिद्धांत के बावजूद हैं, जिसकी दुहाई देते हुए ब्राह्मण यह कहते हैं कि ब्रह्म सभी प्राणियों में व्याप्त है और सभी प्राणियों में उसका वास है। यदि ब्राह्मण में ब्रह्म का वास है तो वह आदिवासी, जरायम–पेशा और अस्पृश्य में भी तो है? इन दो तथ्यों में, अर्थात ब्रह्म सिद्धांत और उसके विपरीत आदिम जातियों, जरायम–पेशा जातियों और अस्पृश्य जातियों के अस्तित्व में किस प्रकार हो सकता है?

इस दलित वर्ग की तीन अलग–अलग कोटियां हैं। एक कोटि उन लोगों की हैं, जिन्हें आदिम जातियां कहते हैं। दूसरी कोटि जरायम–पेशा वर्गों की सूची में शामिल जातियों की है। एक अलग तथा तीसरी श्रेणी उन लोगों की है, जिसे अस्पृश्य वर्ग कहते हैं।

इन तीनों कोटियों के लोगों की संख्या कुछ कम नहीं है। 1931 की जनगणना के अनुसार भारत में आदिम जातियों के लोगों की कुछ संख्या दो करोड़ 50 लाख है। अब जरायम–पेशा के रूप में सूचीबद्ध जरायम–पेशा वर्गों की कुल संख्या कोई 45 लाख है। 1931 की जनगणना के अनुसार अस्पृश्यों की कुल संख्या समग्र भारत में पांच करोड़ है। कुल मिलाकर इन लोगों की संख्या सात करोड़ 95 लाख है। अब प्रश्न यह है कि इन सात करोड़ 95 लाख लोगों की स्थिति क्या है?

पहले आदिम जातियों को लें। उनकी सभ्यता किस अवस्था में है?

उन्हें जो यह आदिम जाति नाम दिया जाता है, उससे ही उनकी वर्तमान दशा का पता चल जाता है। वे दोनों में यत्र–तत्र छोटी–छोटी झोंपड़ियों में रहते हैं। वे जंगली फल, कद व मूल खाते हैं। भोजन के लिए वे मछली और वन्य जंतुओं का शिकार भी करते हैं। उनकी सामाजिक अर्थव्यवस्था में खेती का नगण्य स्थान है। खाद्य सामग्री का वहं नितांत अभाव है। अतः उन्हें भरपेट भोजन नसीब नहीं होता। यह उनकी नियति है। वे लगभग पूर्ण नग्न अवस्था में रहतें हैं। बोंडा पोराज नामक एक आदिम जाति है। बोंडा पोराज का अर्थ ही है 'नग्न पोराज'। इस लोगों के बारे में कहा जाता है कि इनकी महिलाएं एक टुकड़ा लपेटे रहती है। जो पेटीकोट का काम करता है। वह वैसा ही होता है, जैसा कि असम के मोमजाक नागा लोग पहनते हैं। उसके सिरे बाईं जंघा के ऊपर बड़ी मुश्किल से बंध पाते हैं। ये पेटीकोट जंगली पेड़ की छाल के रेशे से घर पर ही बुने जाते हैं। लड़कियां अपने बालों में ताड़ के पंख और मनके लगाकर चोटियां गूंधती हैं। वे अपने गले में ढेर सारे मनके की मालाएं और अन्य आभूषण ठीक उसी प्रकार धारण करती है, जिस प्रकार कि अनेक मोमजाक महिलाएं धारण करती हैं। इसके अलावा महिलाएं कुछ भी नहीं पहनती। महिलाएं अपने सिर को पूरी तरह मुंडवाती हैं।... निजाम के राज्य में फरहाबाद के पास रहने वाली चेंचु नामक एक जाति के बारे में कहा जाता है कि उनके घर शंकु के आकार के छोटे–छोटे होते हैं। शंकु के शीर्ष से ढाल देकर चारों ओर नीचे तक बांस की लंबी पट्टियां लगी होती हैं और इन्हें घासफूस से ढक दिया जाता है, जो छप्पर का काम करता है।... माल–मते के रूप में उनके पास कुछ नहीं होता। वे नाममात्र के कपड़े पहनते हैं। पुरुष लंगोटी और कच्छा पहनते हैं और महिलाएं एक छोटी–सी अंगिया और पेटीकोट पहनती है। यही उनके वस्त्र होते हैं। इसके अलावा खाना पकाने के कुछ बर्तन और एक–दो टोकरियां होती हैं। कभी–कभी उनमें अनाज रखा होता है। वे पशु और बकरियां पालते हैं। केवल इसी गांव में थोड़ी–बहुत खेती होती है। अन्यत्र वे अपने निर्वाह के लिए शहद और जंगलों में पैदा होने वाली सामग्री पर निर्भर रहते हैं, जिन्हें वे बेचा करते हैं। मोरिया नामक एक अन्य आदिम जाति के बारे में कहा जाता है कि पुरुष सामान्यतः कमर के नीचे घुटने के ऊपर तक धोतीनुमा अंगोछा बांधे रहते हैं, जिसका पल्ला सामने लटका रहता है। वे मनकों की माला भी पहनते हैं और नृत्य करते समय वे अपने साफों में मुर्गे और मोर के पंख खोंस लेते हैं। अनेक लड़कियां अपने शरीर को, विशेषतः अपने चेहरे को गुदवा लेती हैं। कुछ तो अपनी टांगों पर भी गुदने गुदवा लेती हैं। ये गुदने निजी रुचि के अनुसार विभिन्न आकृतियों के होते हैं। गोदने का यह काम सुई और कांटे से किया जाता है। उनमें से अनेक अपने बालों में जंगली मुर्गों के पंख लगा लेती हैं। वे अपने सिर लकड़ी के कंघों, टीन और पीतल से भी सजा लेती है।

इन आदिम जातियों को खाने के मामले में कोई परहेज नहीं होता। ये कीड़े–मकोड़े तक खाती है। वास्तव में किसी तरह का शायद ही कोई मांस हो, जो ये नहीं खातीं। ये मरे हुए जानवर का भी मांस खा लेती है, चाहे वह अपनी मौत से मरा हो या चाहे वह चीते के द्वारा चार–पांच दिन पहले मारा हुआ क्यों न हो।

सभी प्रकार के भूत–प्रेतों और अपने मरे बाप–दादाओं की पूजा करना ही उनका धर्म है। जादू–टोना, झाड़–फूंक, पशुओं और मानवों की बलि चढ़ाना इनके धार्मिक विधान हैं।

ये आदिम जातियां शिक्षा का पूर्ण अभाव होने, विज्ञान की कुछ भी भनक न होने, प्रकृति के कार्यकलाप की कुछ भी जानकारी न होने, अज्ञान और अंधविश्वास से ग्रस्त

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

होने के कारण सभ्यता की सीमा रेखा के बाहर और उसकी स्थापित व्यवस्था के अनुसार सदियों से जंगली जीवन बिताती आ रही है।

कभी पिंडारियों और ठगों को भी जरायम–पेशा जाति कहा जाता था, जिनके बड़े–बड़े दल होते थे।

पिंडारी लोग हथियारबंद डकैत होते थे, इनका काम लूटपाट करना था। उनका संगठन लुटेरों को खुला सैन्य संगठन था। उनके पास 20,000 या उससे भी अधिक बढ़िया घोड़े होते थे। उनका एक मुखिया होता था। इनमें चित्तू एक सर्वाधिक शक्तिशाली मुखिया था। अकेले उसी के पास 10,000 घोड़े थे, जिसमें 5,000 बढ़िया घुड़सवार थे। इसके अलावा उसके पास पैदल और तोपें भी थीं। इस विशाल सैन्य–बल को काम देने के लिए पिंडारियों के पास कोई फौजी योजना तो थी नहीं। अतः इनका विकास पेशेवर लुटेरों के गिरोहों में होता गया। इनका ध्येय किसी को जीतना नहीं था। इनका ध्येय तो लूटपाट कर अपने लिए माल और नकदी प्राप्त करना था। लूटमार और लूटमार ही उनका धंधा था। वे किसी को अपना शासक नहीं मानते थे। वे किसी के अधीन नहीं थे। किसी के प्रति वे वफादार नहीं थे। वे किसी का भी आदर नहीं करते थे। किसी के प्रति वे वफादार नहीं थे। वे किसी का भी आदर नहीं करते थे। उच्च हो या नीच गरीब हो या अमीर, वे सभी को बिना किसी डर और दया के लूटते थे।

ठग पेशेवर हत्यारों की सुसंगठित जाति थी। वे भारत–भर में अलग–अलग वेष में 10 से लेकर 200 तक की टोलियों में घूमते थे। वे धनी वर्ग के राहगीरों का विश्वास प्राप्त कर लेते थे। जैसे ही उन्हें कोई अनुकूल अवसर मिलता था वैसे ही वे इन राहगीरों के गले में कपड़े या रस्सी का फंदा डालकर उनका गला घोंटकर उन्हें मार डालते थे और उनका सारा माल छीनकर उनके शव को जमीन में गाड़ देते थे। वे यह सब काम कतिपय प्राचीन तथा कड़ाई के साथ निश्चित रीति के अनुसार और विशेष धार्मिक अनुष्ठान के बाद करते थे, जिसमें कुल्हाड़ी की पूजा और गुड़ के द्वारा हवन किया जाता था। वे काली के कट्टर भक्त होते थे, जो हिंदुओं में बलि की देवी मानी जाती हैं। किसी भी लाभ के लिए हत्या करना उनकी दृष्टि में पुण्य कार्य था। उसे वे पवित्र और सम्मानजनक पेशा समझते थे। वास्तव में उन्हें बुरे–भले का कोई ज्ञान नहीं था और उनके मन में नैतिकता जागृत ही नहीं होती थी। वे इसी देवी के आदेश से और इसी देवी के निमित्त अपना सारा कारोबार करते थे। इस देवी की इच्छा उन्हें अनेक गूढ़ संकेतों से ज्ञात हो जाती थी। इन संकेतो के अनुपालनार्थ वे अपने शिकार के साथ–साथ या उसके पीछे–पीछे सैकड़ों मील की यात्रा करते थे और जब भी मौका मिलता था, तब वे अपना काम पूरा करते थे। काम के हो जाने पर वे अपनी अधिष्ठाती देवी के सम्मान में अनुष्ठान करते थे और लूट का अधिकांश भाग उसके लिए अलग से रख देते थे। ठगों की अपनी एक गुप्त भाषा और कुछ चिन्ह होते थे। इन्हीं के द्वारा वे भारत के दूरदराज के क्षेत्रों में भी एक–दूसरे को पहचान लेते थे। जो ठग बुढ़ापे के कारण ठगी के कार्य में सक्रिय रूप से हिस्सा नहीं ले सकते थे, वे भी इस धंधे में मदद करते थे वे पहरेदारी या जासूसी करते थे या रसोइए का काम करते थे। उनका एक भरा–पूरा संगठन होता था। वे इसी के कारण गुप्त रूप से और सुरक्षापूर्वक काम करते थे। ये मुख्यतः धार्मिक वेश में रहते थे, जिसके कारण ये हत्याएं करने पर भी अपने को बचा लेते थे। इसी कारण वे सदियों लूटपाट का अपना यह धंधा चलाते रहे। विशेष बात यह थी कि भारत के शासक, चाहे वे हिंदू थे या मुसलमान 'ठगी' को नियमित धंधा मानते थे। ठग राज्य को हमेशा कर देते थे और राज्य की ओर से उनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं होती थी।

जब अंग्रेज देश के शासक बने, तभी ठगों के दमन का प्रयास किया गया। 1835 तक 382 ठगों को फांसी दी गई और 986 को जीवन–भर काले पानी भेज दिया गया या आजन्म कैद की सजा दी गई। तो भी 1879 तक 344 ठग पंजीकृत थे और 1904 तक भारत सरकार का ठगी तथा डकैती से संबंधित विभाग काम करता रहा। 1904 में उसका स्थान केंद्रीय खुफिया विभाग ने ले लिया।

हालांकि इन पेशेवर अपराधियों को, जो बेरोक–टोक अपना पेशा चलाते थे, अब कुचल दिया गया है और वे अब लूटमार और शांति–व्यवस्था को भंग नहीं कर सकते, तो भी भारत में अब भी ऐसी जातियां हैं जो जरायम–पेशा है। इनकी सूची सरकार ने जरायम–पेशा जातियों के रूप में बनाई हुई है।

जरायम–पेशा जातियों के लोग मैदानी इलाकों में सभ्य जातियों के लोगों के बीच में भले ही नहीं रहते हैं, लेकिन वे उनके आसपास तो रहते ही हैं। वे संगठित रूप से डकैती और लूटपाट कर अपनी रोजी–रोटी चलाते हैं। इस कारण उन्हें भारत सरकार ने जरायम–पेशा जातियों के रूप में निषिद्ध घोषित कर रखा है। होलियस ने अपनी पुस्तक 'क्रिमिनल ट्राइब्स आफ दि यूनाइटेड प्रोविंसेज' में उनके कार्यकलापों का ब्यौरा दिया है। जुर्म करना ही उनकी रोजी है। उनमें से कुछ दिखावे के लिए भले ही खेती करते हों, पर वह तो असलियत को ढकने का सिर्फ एक बहाना है। उनका धंधा मुख्यतः डकैती और लूटपाट करता है। चूंकि उनकी जाति का पेशा ही जरायम है, इसलिए वे इसे बुरा नहीं समझते। जब वे किसी खास इलाके में डाका डालने की योजना बनाते हैं तो वे सही शिकार की खोज करने, गांव वालों के व्यवहार को देखने–समझने, गांव वालों को मिलने वाली मदद का स्रोत व उसका परिमाण, बंदूकों आदि की संख्या का अनुमान लगाने के लिए जासूस भेजते हैं। ये डाके प्रायः मध्यरात्रि में डाले जाते हैं। जासूसों की सूचना के आधार पर गांव के विभिन्न स्थानों पर वे अपने आदमी तैनात कर देते हैं। ये लोगों को ध्यान बांटने के लिए गोली चलाते हैं और तब मुख्य टोली पहले से नियत घर अथवा घरों पर हमला कर देती है। टोली प्रायः 30 या 40 लोगों की होती है।

इन जातियों के आम जीवन में जुर्म जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, यहां उस पर बल देना अति आवश्यक है। बच्चा जैसे ही चलने और बोलने लायक हो जाता है, उसे जुर्म करने की शिक्षा दी जानी शुरू हो जाती है। निस्संदेह यह उद्देश्य बहुत ही उपयोगी सिद्ध होता है, क्योंकि छोटी–मोटी चोरी के लिए बच्चों को इस्तेमाल करने में कोई बड़ा जोखिम नहीं होता। यदि कोई बच्चा पकड़ा भी जाएगा तो वह दो–चार तमाचे खाकर छूट जाता है और अगर वह बड़ा हुआ तो उसके फौरन गिरफ्तार होने की शंका रहती है। औरतें भी काफी अहम भूमिका अदा करती हैं। भले ही वे इन कामों में हिस्सा न लें, पर उन पर अनेक भारी जिम्मेदारियां होती हैं। वे चुराए गए अधिकांश माल को तो ठिकाने लगाती ही हैं, साथ ही वे दुकानों से चीजें उड़ाने में भी माहिर होती हैं।

जरायम–पेशा जातियों की तरह ही अस्पृश्य वर्ग भी सभ्य हिंदू समाज के बीच रहते हैं, पर अस्पृश्यों की संस्कृति और उनके आचार–विचार उन्हें आदिम जातियों तथा जरायम–पेशा जातियों से एकदम अलग करते हैं। अस्पृश्यों ने हिंदू जाति की संस्कृति को अपनाया है। वे हिंदू जाति के धार्मिक रीति–रिवाजों का पालन करते हैं। वे हिंदुओं की धार्मिक तथा सामाजिक परंपराओं का आदर करते हैं। वे हिंदुओं के तीज–त्योहार मनाते हैं। लेकिन उन्हें इसका कोई लाभ नहीं मिलता। उल्टे उनसे दुराव और अलगाव किया जाता है। क्योंकि हिंदू मानते हैं कि अस्पृश्यों के स्पर्श से वे भ्रष्ट हो जाते हैं, अतः उन प्रयोजनों को छोड़कर जो अस्पृश्यों के बिना पूरे नहीं हो सकते, उनके साथ हर प्रकार का सामाजिक व्यवहार निषिद्ध होता है। वे गांव के बीच नहीं रहते। वे गांव के बाहर रहते हैं। हर गांव का अपना एक इलाका होता है, जो अस्पृश्य होता है, वह गांव से जुड़ा तो होता है, पर गांव का हिस्सा नहीं होता। शेष हिंदुओं से अलग–थलग उन्हें एक ऐसी आचरण–संहिता से जकड़ दिया जाता है, जो दासों के लिए ही उपयुक्त होती है। इस संहिता के अनुसार अस्पृश्य ऐसा कुछ नहीं कर सकता, जो उसे जीवन के नियत स्तर से ऊपर उठा सके। उसे अपने दर्जे से ऊंचे स्तर के कपड़े नहीं पहनने चाहिए और न ही किसी अस्पृश्य महिला को अपने से ऊंचे वर्ग की हिंदू महिलाओं के जेवरों जैसे जेवर पहनने चाहिए। गांव के शेष हिंदुओं के घरों के मुकाबले उसका घर बेहतर या बड़ा नहीं होना चाहिए। बहरहाल, उसके घर पर खपरैल की छत तो होनी ही नहीं चाहिए। निश्चय ही अस्पृश्य को हिंदू के सामने बैठना नहीं चाहिए और उसका उसे हमेशा पहले अभिवादन करना चाहिए। निश्चय ही अस्पृश्य को न तो साफ वस्त्र पहनने चाहिए और न ही पीतल या तांबे के बर्तनों का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे चांदी या सोने के जेवर भी नहीं पहनने चाहिए। जब हिंदू के परिवार में कोई मौत हो जाए तो अस्पृश्य को उस परिवार के रिश्तेदारों को मौत की खबर देने के लिए जाना चाहिए, भले ही वे कितनी दूर क्यों न रहते हों, क्योंकि वह खबर डाक से भेजने पर गांव में हिंदू अपने रिश्तेदारों में अपने को गिरा हुआ अनुभव करने लगता है। यदि हिंदू–घरों की स्त्रियां अपने मायके जाएं या वहां से वापस आएं तो अस्पृश्य को उनके साथ जाना ही पड़ेगा। उनकी प्रतिष्ठा का तकाजा है कि उनके नौकर–चाकर होने चाहिए। और केवल अस्पृश्य ही वह एकमात्र उपलब्ध वर्ग है, जिससे यह काम कुछ खर्च किए बिना कराया जा सकता है। हिंदू के घर के हर समारोह में अस्पृश्यों को आकर दासोचित कर्म करना ही चाहिए। अस्पृश्य को न तो जमीन खरीद कर उस पर खेती करनी चाहिए और न ही उसे स्वतंत्र जीवन बिताना चाहिए। अपना पेट भरने के लिए उसे हिंदू–घरों की झूठन पर निर्वाह करना चाहिए और गांव में मरने वाले पशुओं का मांस खाना चाहिए। इस झूठन को इकट्ठा करने के लिए उसे घर–घर जाना चाहिए। भीख मांगने के लिए उसे शाम के वक्त जाना चाहिए। इसी तरह अस्पृश्य को मरे हुए जानवर को गांव से बाहर ले जाना ही पड़ेगा। निश्चय ही उसे यह काम अकेले ही करना चाहिए, क्योंकि कोई भी हिंदू इसमें उसका साथ नहीं देगा। अस्पृश्य को ऐसे धंधे नहीं करने चाहिए, जो उसे सवर्ण हिंदुओं के ऊपर सत्ता और अधिकार दें। उसे विनम्र होना चाहिए और उससे अधिक की मांग नहीं करनी चाहिए, जो उसे नियत किया गया है। यह सच है कि कुछ अस्पृश्य उस निम्न स्तर से ऊंचे उठ गए हैं जो उन्हें परपंरा के अनुसार नियत रहा है और उन्होंने ऊंचे पद प्राप्त कर लिए हैं, तो भी इनमें से अधिकांश सामाजिकता की दृष्टि से अत्यंत निम्न स्थिति में हैं और आर्थिक दृष्टि से अत्यंत निर्धन हैं।

यह सात करोड़ 95 लाख लोगों की दशा है। मृत नहीं तो इन जीवनमृत जीवों की समस्या कोई छोटी–मोटी समस्या नहीं है। इन तीनों वर्गों की कुल संख्या अमरीका की आबादी से 60 प्रतिशत से भी अधिक है और ब्रिटिश साम्राज्य में श्वेतों की आबादी से 95 लाख अधिक है। इटली की आबादी से वह तीन करोड़ 70 लाख अधिक है। जर्मनी की आबादी से वह एक करोड़ 35 लाख अधिक है और फ्रांस की आबादी से तीन करोड़ 75 लाख। बेल्जियम की आबादी का वह दस गुना और डेनमार्क की आबादी का बीस गुना है। अभागे दलित मानवों की संख्या कितनी अधिक है?

III

इस कहानी का दुखद या यों कहें कि चित्त को क्षुब्ध कर देने वाला पक्ष यह है कि इन अभागे मानवों की दशा क्या वैसी होनी चाहिए, जैसी कि वह है, जब कि वे उच्च सभ्यता के बीच रहते और पलते आए हैं। निश्चय ही हर निष्पक्ष प्रेक्षक की यह प्रतिक्रिया होती है कि ऐसी सभ्यता में जरूर कोई बड़ी बुनियादी विकृति है, जिसके कारण यह इन सात करोड़ 95 लाख प्राणियों को मानवता के स्तर तक उठाने में असफल रही है।

सभ्यता एक वरदान है। वह मानव व प्रकृति, कला व कौशल के ज्ञान का संचित भंडार है। वह एक नैतिक संहिता है, जो अपने साथियों के प्रति मानव के आचरण को विनियमित करती है। वह एक सामाजिक संहिता है, जो प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों–विनियमों की व्यवस्था करती है। वह एक नागरिक संहिता है, जो शासक तथा शासित के अधिकारों तथा कर्तव्यों का प्रावधान करती है। वह एक आध्यात्मिक दर्शन है, जो लौकिक को अलौकिक से जोड़ता है। सभी प्रजातियों को यह सौभाग्य नहीं मिला है कि वे उसका पूर्णतम विकास कर सकें। अनेक उसी अवस्था में हैं, जहां से उनका विकास होना शुरू हुआ था। अनेक प्रजातियां एक–दो कदम चल कर रूक गई। अन्य केवल घेरे के

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

भीतर चक्कर काट रही हैं। आस्ट्रेलिया और उसके आसपास छोटे–बड़े द्वीपों की आदिम जातियों के बारे में जब कुछ वर्षों पूर्व पहले–पहल पता चला तो पता चला था कि उन्हें थोड़ा–बहुत बोलना और आग जलाना आ गया था। वे मध्य–युग की जंगली अवस्था से आगे नहीं बढ़ सकी थी। हडसन खाड़ी क्षेत्र की आदिम जाति एल्लियापास्कस तथा कोलम्बिया घाटी के मूल निवासी तीर व कमान की अवस्था से आगे नहीं बढ़ सके। बर्तन बनाने, पशु पालने और लोहे को गलाने के बारे में वे कुछ नहीं जानते थे। मिस्र, बेबीलोनिया, असीरिया और यहां तक कि रोम तथा यूनान की सभ्यता भी केवल गतानुगतिका की सभ्यता है। इन देशों में तत्कालीन मानव ने उन्हीं साधनों के प्रयोग में दिए थे, जब वह जंगली अवस्था में था और इनकी सभ्यता के इतिहास में इन्ही का ब्यौरा मिलता है। उन्होंने अपने पूर्वजों से प्राप्त सभ्यता में कुछ भी ऐसी प्रगति नहीं की, जिसे क्रांतिकारी कहा जा सके। उन्होंने केवल इतनी प्रगति की कि उनके पूर्वज जिस बात को फूहडपने से करते थे, उसे वे बेहतर ढंग से करने लगे। यह प्रगति एक के बाद दूसरी अवस्था में तेजी से नहीं हुई। इसमें कोई शक नहीं कि जब पर्याप्त प्रगति करके मानव 'बर्बर' कहलाया, उससे पूर्व वह अनेक युगों तक जंगली रहा। इसमें भी कोई संदेह नहीं कि जब मानव सभ्यता की निम्नतम अवस्था के अंतिम शिखर पर पहुंचा, उससे पूर्व बर्बरता के अन्य अनेक युग गुजरे। इन क्रमिक युगों की ठीक–ठीक कालावधि के बारे में तो केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है, लेकिन यह अनुमान निरापद हो सकता है कि यह अवधि एक लाख वर्ष की रही होगी।

निश्चय ही सभ्यता कोई ऐसी वस्तु नहीं, जो आसानी से मिल सकती है। सभ्यता तो एक अत्यंत महत्वपूर्ण वस्तु है, न केवल एक पीढ़ी के लिए, बल्कि अगली पीढ़ी के लिए भी। विरासत में मिलने पर एक पीढ़ी की सभ्यता अगली पीढ़ी के लिए साधन बन जाती है। सामाजिक विरासत हर पीढ़ी के लिए अति आवश्यक है। यदि यह सामाजिक विरासत नष्ट हो जाए तो सारी–की–सारी प्रगति ठप्प हो जाएगी। किसी ने ठीक ही कहां, यदि धरती से श्री वेल्स का कोई पुच्छलतारा टकरा जाए और यदि उसके फलस्वरूप इस समय का हर जीवित प्राणी वह सब ज्ञान और आदतें गंवा बैठे जो उसने पिछली पीढ़ियों से प्राप्त की थीं, तो (भले ही खोज, स्मृति और अभ्यास की उसकी सभी शाक्तियां ज्यों–की–त्यों बनी रहें) पृथ्वी की 9/10 जनसंख्या एक मास के भीतर और शेष 1/10 जनसंख्या की 99 प्रतिशत जनसंख्या छह मास के भीतर मर जाएगी। विचारों की अभिव्यक्ति के लिए उनके पास कोई भाषा नहीं होगी, केवल अस्पष्ट ध्वनियां रह जाएंगी। वे न नोटिस पढ़ सकेंगे और न ही मोटरकार और घोड़े दौड़ा सकेंगे। जब उन्हें प्यास लगेगी तो सैंकड़ों की संख्या में वे कुछ स्वभावतः तगड़े व्यक्तियों की अस्पष्ट चीखों के पीछे–पीछे भागकर नदी के घाट पर पहुंच जाएंगे और डूब मरेंगे। मनुष्य समय रहते अपने जीवन को सुरक्षित रखने के बारे में कुछ नहीं कर सकेंगे, वे अन्न उठाने, पशुओं को पालने, आग जलाने और अपने लिए कपड़े बनाने के उपाय नहीं सोच सकेंगे। जीवन को पुनः शुरू से प्रारंभ करना होगा। जो पीढ़ी अपनी सामाजिक विरासत को गंवा देगी, उसे आदिम जाति की भांति अपना जीवन पुनः जंगली फलों तथा कीड़ों पर निर्भर करना होगा। यह सिलसिला तब तक चलता रहेगा, जब तक कि वह नई सामाजिक विरासत संचित न कर ले। कुछेक हजार पीढ़ियों के बाद शायद वे कोई ऐसी चीज प्राप्त कर सके, जिसे भाषा कहा जा सके, जिसे पशु–पालन और काश्तकारी की कोई कला कहा जा सके। हो सकता है कि वे धर्म या हमारे कुछ सरल यांत्रिक आविष्कारों या राजनीतिक युक्तियों जैसी कोई चीज पैदा कर लें या न भी कर ले। हो सकता है कि उनके पास कानून, आजादी, न्याय जैसे कोई सामान्य विचार हों या न हों। यह अंतर सामाजिक विरासत पैदा करती है और यह कोई मामूली अंतर नहीं।

यह सच है कि सभी का ऐसा सौभाग्य कहां कि वे सभ्य हो जाएं और जो ऐसे सौभाग्यशाली होते हैं भी, उन्हें भी सभ्यता धीरे–धीरे प्राप्त होती है और बीच–बीच में लंबे और उबाऊ विराम आते हैं। लेकिन यह भी सच है कि जो सभ्य है, उनकी सभ्यता मदद करने के स्थान पर रूकावट बन सकती है। हो सकता है कि वह गलत रास्ते पर चली जाए, हो सकता है कि वह नकली बुनियादों और नकली मूल्यों पर खड़ी हो। ऐसी सभ्यता समाज को जड़ और व्यक्ति को ठूंठ बना सकती है। ऐसी सभ्यता की बेड़ियां डालने और ऐसी सभ्यता के बोझ तले पिसने से तो बेहतर होगा कि ऐसी सभ्यता के बिना ही रहा जाए।

हर देशभक्त हिंदू डींग हांकता है कि हिंदू अथवा वैदिक सभ्यता दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता है। हिंदू बार–बार बड़े जोर शोर और द्वेषपूर्ण घमंड से कहता है कि जब संसार की अन्य जातियां आदिम जातियों की भांति जीवन जी रही थीं और नंगी घूम रही थीं तो भारत सभ्यता की एक बड़ी ऊंची चोटी पर पहुंच चुका था। हिंदू यह भी कहता है कि उसकी सभ्यता में जन्मजात शक्ति है और इसी कारण वह आज तक जिंदा बची रही है, जब कि मिस्र, बेबीलोन, यहूदी, रोम और यूनान की सभ्यताएं मिट चुकी हैं। ऐसा नजरिया, भले ही कितना भी जायज हो, खास मुद्दे की अनदेखी करता है। खास मुद्दा यह है कि सभ्यता के क्या–क्या गुण हैं? क्या उसकी कोई उपयोगिता है? यदि वह बची रह सकी है तो किस स्तर पर जिंदा है? या यूं कहे कि असली सवाल यह है कि क्या हिंदू सभ्यता यानी उसकी सामाजिक परंपरा बोझ है या उससे कोई लाभ है और यह सभ्यता अपनी प्रगति और अपने विस्तार से समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों को क्या कुछ देती है?

मानव और प्रकृति विषयक ज्ञान में हिंदू सभ्यता की क्या देन रही है? अनेक देशभक्त हिंदुओं का यह विश्वास है कि मानव और प्रकृति के विषय में ज्ञान का आरंभ हिंदुओं से हुआ। यदि मान भी लिया जाए कि ऐसा ही है तो निश्चय ही यह अति अल्प विकसित अवस्था से आगे नहीं बढ़ सका। क्या कोई हिंदू, ठीक हो या गलत , यह कहेगा कि हिंदू भाषा–विज्ञान वहीं पर है, जहां पाणिनि और कात्यायन ने उसे छोड़ा था? या वह, गलत हो या सही, इस बात का खंडन कर सकता है कि दर्शन–शास्त्र वहीं पर है, जहां कपिल और गौतम ने उसे छोड़ा था? क्या वह कहेगा कि साहित्य वहीं पर है, जहां व्यास और बाल्मीकि ने उसे छोड़ा था? कहा जाता है कि अध्यात्म–विधा में तो हिंदू–चिंतन चरम उत्कर्ष प्राप्त कर चुका है। लेकिन देखिए हिंदू अध्यात्म के बारे में प्रो. हरदयाल क्या कहते हैं।

अध्यात्म–विधा भारत का कलंक रही है। उसने उसके इतिहास को चौपट किया है, उसे विनाश के गढ़े में धकेल दिया है। उसने उसके महापुरुषों को दयनीय स्थिति में डाल कोरा वितंडतावादी बना दिया है और उन्हें निरर्थक जिज्ञासा और चेष्टा के गलियारों में भटका दिया है। अनेक सदियों तक वह भारतीय विद्वानों के लिए मृगमरीचिका रही है। उसने कुतर्क को, कला और कपोल कल्पनाओं को ज्ञान के ऊंचे सिंहासन पर बैठा दिया है। उसने भारतीयों को इतना निकम्मा बना दिया है कि जिससे वे सैंकड़ों साल तक कोल्हू के बैल की भांति उसी पुराने ढर्रे पर चलते रहें। उसने उसके ऋषियों की दृष्टि को क्षीण कर दिया है, जिसके कारण ये झूठे बिम्बों को असलियत मान बैठे।... वह अहंकार, आडंबर, वाक्जाल और क्षीण दृष्टि है। वह अपने स्फुट विचारों को भगवद् संदेश कहती है और अपने विलक्षण शब्दों के द्वारा सिद्धांतों का महान व अमेद्य भवन खड़ा करती है।... उपनिषद उसकी यह व्याख्या करने का दावा करते हैं, जिसे जान लेने से सब–कुछ जान लिया जाता है। 'परब्रह्म' संबंधी यह मध्ययुगीन जिज्ञासा ही भारत की समूची उच्च अध्यात्म विद्या का आधार है। कल्पना की बेतुकी उड़ानों, विचित्र भ्रांतियों और अंटशंट अटकलबाजियों से ग्रंथ–के–ग्रंथ भरे पड़े हैं। और हम हैं कि अभी तक नहीं समझ पाए हैं कि वे व्यर्थ हैं। 'समाधि' अथवा मूर्च्छा को आध्यात्मिक प्रगति का चरम बिंदु माना जाता है। यह कितने आश्चर्य की बात है कि मूर्च्छा की क्षमता को बुद्धिमत्ता का लक्षण माना जाए। यदि भावना प्रधान हो और विवेक गौण हो तो चेतना खो बैठना कौन बड़ी बात है। यही कारण है कि मामूली–से–मामूली उद्विग्नता से भी महिलाएं बेहोश हो जाती हैं। लेकिन भारत में 'समाधि' योग का आठवां अंग या सीढ़ी है और उसे केवल 'परमहंस' ही प्राप्त कर सकता है। हे इजरील, क्या यही तुम्हारे देवता हैं, नकली रीति से उत्पन्न की गई असामान्य मनोदशा को ज्ञान प्राप्ति का संकेत मानना ऐसी गलती है, जो केवल भारतीय दार्शनिक ही कर सकते हैं।

विज्ञान, कला और कौशल के क्षेत्र में हिंदू सभ्यता का योगदान अति आदिम स्वरूप का है। बुनाई, कताई आदि के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर शेष में हिंदू सभ्यता ने ऐसी कोई तकनीक ईजाद नहीं की है, जो प्रकृति के विरूद्ध मानव के संघर्ष में उसकी मदद कर सके और वह ऐसा जीवन–स्तर कर सके, जिसे बर्बर युग के स्तर से ऊंचा कहा जा सके। इसका कारण है। वैज्ञानिक और तकनीकी साधन हैं ही नहीं। पल्ले न पड़ने वाली समूची आध्यात्मिक बकवास हम पर थोपी जा रही है। अतः सभी युगों में इस देश को अकाल रौंदते रहे हैं। अज्ञान, अंधविश्वास आदि मन के विकार और मलेरिया, प्लेग आदि तन के विकास युग–युग से इस देश के लिए मानों कफन रहे हैं।

धर्म और आचार–शास्त्र के क्षेत्र में हिंदुओं ने सर्वाधिक प्रयास किए हैं। उनका जो योगदान है, उसमें वे सबसे अधिक विकसित हैं। इसमें संदेह नहीं कि वे मनुष्य के लिए अति आवश्यक हैं। उसका सीधा–सा कारण यह है कि वे मनुष्य के मन में विचार और कर्म के बीज बोते हैं। वे ही जीवन के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण को तराशते हैं। वे ही अपने साथी के प्रति मनुष्य के दृष्टिकोण को संवारते हैं। वे उसके आचरण एवं चरित्र को ढालने वाले सिद्धांत तय करते हैं। वे ही मनुष्य के मन में विवेक जैसे रहस्यमय बीज का आरोपण करते हैं। विवेक ही उसका पहरेदार है और उसे गलत रास्ते पर नहीं जाने देता।

जब हम इस हिंदू सभ्यता को उसके अपने धार्मिक दृष्टिकोण और उसके अपने जीवन–दर्शन की कसौटी पर कसते हैं तो हमें शंका होने लगती है कि क्या इस हिंदू सभ्यता का कोई लाभ उन पीढ़ियों को है, जिन्हें वह विरासत में मिलेगी ही? आदिम जातियों के जो ढाई करोड़ लोग इसकी परिधि में हैं, उन्हें यह सभ्यता क्या देती है? इस सभ्यता की परिधि के बीच जरायम–पेशा जातियों के जो 50 लाख लोग रह रहे हैं, उन्हें यह सभ्यता क्या देती है? इस सभ्यता के अंतर्गत जो पांच करोड़ अस्पृश्य न केवल रह रहे हैं, बल्कि जिन्हें इसे सहन करना पड़ रहा है, उन्हें वह क्या देती हैं? ऐसी सभ्यता के बारे में आदिम जातियां क्या कहेंगी, जिन्हें उसने अपने में शामिल करने का कोई प्रसास नहीं किया है? ऐसी सभ्यता के बारे में जरायम–पेशा जातियां क्या कहेंगी, जिन्हें खदेड़कर उसने विवश कर दिया है कि वे अपनी रोजी–रोटी कमाने के लिए जुर्म को अपना धंधा बना लें। यदि वे कहें कि यह सभ्यता नहीं, अपितु सभ्यता के नाम पर कलंक है, तो क्या यह अनुचित होगा?

जहां तक अस्पृश्यों का संबंध है, उनका तो सदैव दुर्भाग्य रहा है। हिंदू सभ्यता के अधीन पहले भी वे घोर अपमान और घोर अभाव की चक्की में पिसते रहे हैं, और भविष्य में भी उनके लिए आशा की कोई किरण नहीं है कि अस्पृश्यता की इस व्यवस्था में कितना घोर अपमान और कितना घोर अभाव मौजूद है। 1928 में दलित वर्गों तथा आदिम जातियों की शिकायतों की जांच करने के लिए बंबई सरकार ने जो कमेटी नियुक्त की थी, उसके विचार इस संबंध में अति संगत हैं। उसमें कहा गया है –

यह कोई विचित्र बात नहीं कि अस्वच्छ व्यक्ति या वस्तु घृणा पैदा करती है, क्योंकि यह प्रदूषण का आधार है। लेकिन जिस रीति से यह भावना (अस्पृश्यों) पर लागू की जाती है, उसकी अतार्किकता खेदजनक है। वह किसी व्यक्ति पर केवल जन्म के आधार पर ही अस्पृश्य का ठप्पा लगा देती है। जो व्यक्ति अस्पृश्य के यहां पैदा हुआ है, वह अस्पृश्य ही रहता है, भले ही वह निजी सफाई के मामले में तथाकथित स्पृश्य से कितना भी स्वच्छ क्यों न हो। उसके सामने अपनी इस स्थिति से बच निकलने का कोई रास्ता नहीं होता। इस सबमें अचरज की बात तो यह है कि रूढ़िवादी हिंदू इस बात के बावजूद कि उसकी व मुसलमानों, पारसियों और ईसाइयों की धार्मिक–धारणाओं, जीवन–शैली तथा जीवन–दृष्टि में अंतर होते है, उन्हें स्पृश्य मानता है। इस कारण (अस्पृश्य) की स्थिति और खराब हो गई। रूढ़िवादी हिंदुओं के इस अनुचित भेदभाव के कारण कुछ मामलों में, खासकर गांवों में रूढ़िवादी हिंदुओं के प्रभाव में आकर मुसलमान, पारसी और ईसाई

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

भी (अस्पृश्यों) के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करते हैं, जब कि उनके धर्म तो इसके विपरीत शिक्षा देते हैं। हमें सबसे अधिक चिंता इस बात की है कि अस्पृश्यता में अलगाव और हीन भावना जैसी बुराइयां तो हैं ही, पर साथ ही उससे कुछ खास बुराइयां भी जुड़ी हैं। तर्क की दृष्टि से देखा जाए तो रूढ़िवादी हिंदू समाज में अस्पृश्यता के कारण (अस्पृश्य) सरकारी स्कूल में दाखिला नहीं पा सकेगा, भले ही स्कूल का खर्च सरकार उठाती हो। उसके कारण वह सरकारी सेवाओं में नियुक्त नहीं हो सकेगा, भले ही वह उनके लिए योग्यता रखता हो। वह केवल उन्हीं सेवाओं को कर सकेगा, जो रूढ़ि के अनुसार उसके लिए नियत हो गई हैं। उसके कारण वह उन सार्वजनिक स्थानों से भी पानी नहीं ले सकेगा, जिनका रखरखाव सरकारी खर्च से होता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो अस्पृश्यता केवल सामाजिक समस्या नहीं है, यह एक सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक समस्या है और इसका सरोकार राज्य के नागरिक के अधिकारों के बुनियादी सवाल से है।

यहां तो सिर्फ अस्पृश्यों की कठिनाइयां गिनाई गई हैं। लेकिन ये अस्पृश्य ही तो अपमान की जिंदगी नहीं बसर करते हैं। कुछ अन्य वर्ग भी हैं, और उनकी स्थिति और भी खराब है। अस्पृश्य उन्हें कहा जाता है, जो केवल शारीरिक स्पर्श से भ्रष्ट करते हैं। लेकिन ऐसे लोग भी है, जो तब भ्रष्ट करते हैं, जब वे निश्चित दूरी पर न रहकर पास आ जाते हैं। इन्हें सामीप्यवर्जित कहा जाता है। उनसे भी खराब स्थिति में वे लोग हैं, जिनको देखने मात्र से भ्रष्ट होने का पाप लग जाता है। ये दृष्टिवर्जित कहलाते हैं। नयाडी लोग सामीप्यवर्जित लोगों की श्रेणी में आते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि वे कुक्करभक्षी होते हैं और हिंदुओं में सबसे अधम जाति के हैं। भीख मांगने में वे सबसे ज्यादा हठी लोग हैं। वे किसी भी व्यक्ति का, चाहे वह पैदल चले, सवारी करे, नौका–यात्रा करे, मीलों उन्हें कोई चीज दी जाती है तो उसे भूमि पर ही रखना होगा और जब उसे देने वाला व्यक्ति पर्याप्त दूरी पर पहुंच जाएगा, तभी प्राप्त करने वाला व्यक्ति सहमता हुआ आगे बढ़ता है और उसे उठाता है। इन्हीं लोगों के बारे में श्री थर्स्टन कहते हैं : 'मैंने इन लोगों (नयाडियों) को शोरानूर में देखा। ये लोग तीन मील दूर रहते थे। लेकिन ये लोग प्रदूषण के कारण जो ये सदियों से ओढ़े चले आ रहे थे, नदी पर बने विशाल पुल से न चलकर, मीलों के चक्करदार रास्ते से आते–जाते थे।

मद्रास प्रेसिडेंसी के तिन्नेवल्ली जिले में दृष्टिवर्जित लोगों का ऐसा वर्ग है, जिसे पुराडा वन्ना कहते हैं। उनके बारे में कहा जाता है कि दिन में उन्हें बाहर आने की अनुमति नहीं, क्योंकि उन पर दृष्टि पड़ने से ही आदमी भ्रष्ट हो जाता है। ये अभागे लोग निशाचरों जैसा जीवन जीने के लिए विवश हैं। वे अंधेरे में अपनी मांद से बाहर निकलते हैं और पौ फटने के पूर्व ही लकड़बग्घे, बिज्जू की भांति अपने–अपने घरों की ओर लौट पड़ते हैं।

सामीप्यवर्जितों तथा दृष्टिवर्जितों की क्या कठिनाइयां होंगी? वे अपना जीवन कैसे काटते होंगे? यदि उनका दर्शन या उनका सामीप्य भी सहन नहीं किया जाता तो वे क्या रोजगार कभी पा सकते हैं? भीख मांगने और कुत्ते का मांस खाने के अलावा वे कर भी क्या सकते हैं? निश्चय ही कोई भी सभ्यता इससे अधिक क्रूर नहीं हो सकती। वास्तव में यह महान दया है कि सामीप्यवर्जितों तथा दृष्टिवर्जितों की संख्या बहुत कम है। पर क्या वे पांच करोड़ अस्पृश्य किसी भी सभ्यता के अधिकारी नहीं हैं?

अस्पृश्य लोग अपनी दुर्दशा से बच नहीं सकते, क्योंकि वे स्पृश्य की भांति घूमफिर नहीं सकते। निश्चय ही जिस गांव में वे रहते हैं, वहां के लोग उन्हें जानते–पहचानते हैं और जब तक वे वहां रहते हैं, वे जाली रूप धारण नहीं कर सकते हैं। यदि वे गांव छोड़कर शहर में आ जाते हैं तो हो सकता है कि वे स्पृश्य की भांति वहां घूमफिर सकें। लेकिन वे जानते हैं कि यदि उनके बारे में पता चल गया तो उनकी कैसी दुर्गति होगी।

समाचारपत्रों में छपी निम्न घटना से कुछ अनुमान लग जाएगा कि जाली रूप धारण करने में कितना जोखिम होता है –

रूढ़िवादिता का पागलपन

'अस्पृश्यों' के प्रति कथित बर्बर व्यवहार : महार होने का अपराध

अहमदाबाद से श्री केशवजी रनछोड़जी वघेल ने बहिष्कृत हितकारिणी सभा के अध्यक्ष, डा. भीमराव अम्बेडकर को सूचना दी है :

बापूराव लक्ष्मण और उनके भाई कौराओ पिछले छह सालों से अहमदाबाद में रह रहे हैं। वे मराठा जाति के दक्कन में आए कुछ लोगों के साथ उठते–बैठते थे। दामू और लक्ष्मण नामक कौराओं के दो बेटे मराठों को पता चला कि दामू और लक्ष्मण नामक दोनों भाई महार जाति के हैं और इस बारे में निश्चय करने के लिए सूरत और अहमदाबाद के बीच चलने वाली पार्सल ट्रेन में काम करने वाले दो दामू और लक्ष्मण को पहचानने के लिए खासतौर पर बुलाया गया। यह निश्चय कर लेने के बाद भी कि दामू और लक्ष्मण महार है, उन्हें इसी मास की 11 तारीख की आधी रात को कालूपुर, भंडारी पोल, में भजन मंडली के लिए बुलाया गया। जब पूछा गया कि वे किस जाति के हैं, दामू और लक्ष्मण ने उत्तर दिया कि वे सोमवंशी हैं। इस उत्तर से मराठे क्रुद्ध हो गए। मराठों ने उन्हें जी–भर कर गालियां दीं और कहा कि उन्होंने उनके व्यक्तियों और स्थानों को भ्रष्ट किया है। मराठों ने महार बंधुओं की ठुकाई व पिटाई की। एक भाई के पास सोने की अंगूठी थी। वह उससे जबरन छीन ली गई और उसे 11 रूपये में बेच दिया गया। इस रकम में से छह रूपये उस महार को अदा कर दिए गए, जिसे इन बंधुओं की पहचान के लिए सूरत से बुलाया गया था। दामू और लक्ष्मण ने मराठो से चिरौरी और विनती की कि उन्हें उनके घर लौटने दिया जाए। लेकिन मराठों ने कहा कि वे तभी जा सकते हैं, जब वे 500 रूपये का जुर्माना अदा कर दें। जब महार बंधुओं ने कहा कि वे इतनी बड़ी रकम तो नहीं दे सकते, तो एक मराठे ने सुझाव दिया कि महार बंधुओं पर केवल 125 रुपये का जुर्माना किया जाए। लेकिन एक मराठे ने जुर्माने के सुझाव का विरोध करते हुए कहा कि उन्हें केवल जुर्माने से संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी जाति छिपाने के अपराध के लिए महार बंधुओं को कठोर दंड देना चाहिए। ऐसा निर्णय कर लेने के बाद महार बंधुओं को रोक लिया गया और सबेरे 9 बजे के लगभग उनका बर्बरतापूर्ण तिरस्कार किया गया। बाई ओर की उनकी मूछें और दाईं ओर की उनकी भौहें उस्तरे से साफ कर दी गई। उनके शरीरों पर तेल और मिट्टी में सनी कालिख पोत दी गई। उनके गलों में पुराने जूतों की मालाएं डाल दी गई। उनमें से एक के हाथ में झाड़ू पकड़ा दी गई। दूसरे के हाथ में तख्ती पकड़ा दी गई। उस पर लिखा था कि अपराधियों को दंड इसलिए दिया गया कि उन्होंने उच्च जाति के लोगों को स्पर्श करने का दुस्साहस किया। महार बंधुओं का जुलूस निकाला गया। कोई 75 लोग उसमें साथ थे। आगे–आगे ढोल पीटा जा रहा था।

उक्त दोनों महार बंधुओं ने पुलिस से शिकायत की है। अभियुक्त ने अपने बयान में स्वीकार किया है कि दामू और लक्ष्मण के साथ कथित रीति से बर्ताव किया गया, लेकिन कहा कि शिकायत करने वालों ने स्वेच्छा से दंड भुगतना स्वीकार किया है। जाहिर है कि दामू और लक्ष्मण उस समय असहाय थे, जब उन्हें गालियां दी गईं, मारा व पीटा गया, कठोर दंड की धमकी दी गई और वस्तुतः बर्बरतापूर्वक उनका तिरस्कार किया गया। इस मामले ने तथाकथित अस्पृश्य जातियों के लोगों में भारी सनसनी पैदा कर दी है। शिकायत करने वालों को समुचित कानूनी मदद देने के प्रयास किए जा रहे हैं। लेकिन अस्पृश्यता के बारे में इस हिंदू सभ्यता के नियम इतने सूक्ष्म हैं कि वे इस बात की कोई गुंलाइश नहीं छोड़ते कि अस्पृश्य लोग स्पृश्य होने का दिखावा कर सकें। अतः कतिपय इलाकों में ऐसे नियम है, जिनके अनुसार अस्पृश्यों से अपेक्षा की जाती है कि वे काला धागा पहने, ताकि उन्हें सरलता से पहचाना जा सके और बोलकर घोषणा करें कि वे अस्पृश्य हैं, ताकि उन्हें सरलता से पहचाना जा सके और बोलकर घोषणा करें कि वे अस्पृश्य है, ताकि स्पृश्य अनजाने में उन्हें स्पर्श करके भ्रष्ट न होने पाएं। बंबई प्रेसिडेंसी में द्वारिका नगर में महान हिंदू देवता कृष्ण का विख्यात मंदिर हैं। वहां का नियम है कि सड़कों पर चलते समय हर अस्पृश्य को अपने हाथों से ताली बजानी होगी और कहना होगा, 'बचो, बचो, ताकि इस बात की घोषणा हो सके कि वह अस्पृश्य है और स्पृश्य सावधान हो जाएं। मद्रास प्रेसिडेंसी के चेरूमानों के बारे में निम्न विवरण उपलब्ध है :

इन दयनीय प्राणियों की सामाजिक स्थिति बहुत घटिया है। जब कोई चेरुमान उच्च जाति के किसी व्यक्ति से मिले तो उसे 30 फुट की दूरी पर ही खड़ा रहना होगा। यदि वह इस निषिद्ध दूरी के भीतर आ जाता है तो उसके सामीप्य से भ्रष्टता होगी और वह जल से स्नान करने पर ही दूर होगी। चेरुमान, ब्राह्मणों के किसी गांव, मंदिर या पोखरे पर नहीं जा सकता। यदि वह जाता है तो शुद्धि जरूरी हो जाती है। आम सड़क पर चलते समय भी यदि वह अपने स्वामी को देख लेता है तो उसे आम रास्ता छोड़ना होगा और भले ही कीचड़ हो, उस पर चलना होगा, ताकि वह अकस्मात अपवित्र करने के लिए स्वामी के कोप से बच सके। राहगीर अपवित्र न हो जाए इसके लिए वह इस अप्रिय ध्वनि को दोहराता है – 'ओ, ओह, ओ'। कुछ स्थानों में, जैसे पालघाट में, हम देख सकते हैं कि चेरुमान सड़के के किनारे गंदा कपड़ा फैलाकर तीखी आवाज में चिल्लाता है, 'मुझे कुछ पैसे दो और उन्हें कपड़े पर फेंक दो। कोचीन और ट्रावनकोर के देशी राज्यों में उनकी स्थिति असहनीय है। वहां ब्राह्मण का प्रभाव प्रबल है और पालघाट तालुक में तो आज भी चेरुमान बाजार में कदम नहीं रख सकता। मलाबार में कहा जाता है, उच्च जाति का व्यक्ति सड़क से हट जाए और उसे अपवित्र न कर पाए। जब निम्नतम जातियों के लोग चलते हैं तो वे चिल्लाते हैं, ताकि अपवित्रता की छाप वाली अपनी उपस्थिति का भान करा सकें और उच्च जाति के व्यक्ति के आदेश को सुनकर सड़क से हट जाएं। आम तौर पर देखा जा सकता है कि छोटी जाति के लोग सड़क के समानांतर चलते हैं और उस पर चलने का साहस नहीं करते।

इन अभागी आत्माओं की यह कैसी अधोगति व दुर्गति है कि उन्हें इस हिंदू सभ्यता ने सामाजिक कुष्ठी बना दिया है। उन्हें अस्पृश्य कहा जाता है। क्या यह स्वयं में कम दुर्भाग्यपूर्ण हैं? लेकिन यह अपेक्षा करना कि अस्पृश्य स्वयं अपने ही मुख से अपनी लज्जा का ढोल पीटे कि वह अस्पृश्य है, ऐसी क्रूरता है, जो मेरी राय में तो बेमिसाल है। इस हिंदू सभ्यता के बारे में अस्पृश्य क्या कहेगा। क्या यह गलत होगा, यदि वह कहे कि यह सभ्यता नहीं, यह तो घोर असभ्यता है?

इस बारे में तो किसी भी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है कि आदिम जातियों, जरायम–पेशा जातियों और अस्पृश्य वर्गों की जो दशा है, वह हिंदू सभ्यता के मूल सिद्धांतों का ही कुफल है।

इन आदिम जातियों को हिंदुओं की परिधि में लाने के लिए कोई आंदोलन क्यों नहीं चलाए गए हैं?

इन प्रश्नों में से हरेक का उत्तर हिंदू सभ्यता के किसी–न–किसी मूल सिद्धांत से जुड़ा है।

प्रथम प्रश्न का उत्तर है कि वर्ण–व्यवस्था हिंदू धर्म को सेवाव्रती (मिशनरी) धर्म बनने से रोकती है और वर्ण (जाति) हिंदू सभ्यता का मूल अंग है। दूसरे प्रश्न का उत्तर है कि चातुर्वर्ण्य उन अवसरों पर अंकुश लगाता है, जो व्यक्ति सम्मानजनक जीवन जीने के लिए प्राप्त कर सकता है। समूचे ज्ञान और ज्ञानार्जन पर ब्राह्मणों का एवं सभी सामरिक सेवाओं पर क्षत्रियों का एकाधिकार है। व्यापार केवल वैश्य ही कर सकते हैं। शूद्रों के भाग्य में है, केवल दास–कर्म। जो इस वर्ण–व्यवस्था से बाहर हैं, उनके लिए कुछ भी सम्मानजनक कर्म शेष नहीं रहा है। अतः उन्हें विवश होकर अपना पेट भरने के लिए जुर्म का धंधा और अपमानजनक तरीके अपनाने पड़े हैं। यह है चातुर्वर्ण्य का दुष्परिणाम और चातुर्वर्ण्य हिंदू सभ्यता का मूलाधार है।

तीसरे प्रश्न का उत्तर है कि अस्पृश्यता 'स्मृतियों' में वर्णित हिंदू कानून का अंग है और 'स्मृतियां' हिंदू सभ्यता की मूलाधार है।

IV

यह सच है कि जहां तक अतीत का संबंध है, भारत के सात करोड़ 95 लाख लोगों की इन तीनों श्रेणियों के लिए अधोगति की दशा एक–सी रही है। लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी भावी नियति भी उनके लिए एक

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

समान होगी। उसका कारण है। भले ही उनकी दशा प्रत्यक्षतः समान दीख पड़े, पर उनकी स्थिति अनिवार्यतः भिन्न है।

ध्यान देने योग्य पहली बात तो यह है कि आदिम जातियां और जरायम–पेशा जातियां अस्पृश्यता की इस प्रणाली से पीड़ित नहीं हैं। हिंदू को वे अपवित्र नहीं करते। वास्तविकता तो यह है कि ये आदिम और जरायम–पेशा जातियां अस्पृश्यों के प्रति अस्पृश्यता का व्यवहार करती है। कैसी हास्यास्पद स्थिति हैं। हम देखते हैं कि ये आदिम तथा जरायम–पेशा जातियों के लोग सोचते हैं कि वे अपवित्र हो जाएंगे, यदि कोई अस्पृश्य उन्हें छू लेगा। वे अस्पृश्यों से कहीं ज्यादा गरीब, गंदे, अंधिविश्वासी और अनपढ़ हैं। फिर भी वे इस बात पर गर्व करते हैं कि वे सामाजिक दृष्टि से अस्पृश्यों से ऊंचे हैं। निश्चय ही यह छूत के उस रोग का प्रभाव है, जो उन्हें हिंदुओं के संसर्ग से लगा है। लेकिन ध्यान देने योग्य बात यह है कि हिंदू उन्हें अस्पृश्य नहीं मानता। अस्पृश्यों के मुकाबिले उन्हें यह एक लाभ प्राप्त है और यह लाभ उनके भविष्य के लिए आश्वासन है। यदि आदिम जातियों के पास उन्नति के अवसर नहीं हैं तो उसका कारण यह है कि वे अलग–थलग रहना पसंद करते हैं। लेकिन यदि एक बार वे वनों की अपनी गुफाओं से बाहर निकल आएं और सभ्यता में भागीदार हो जाएं तो कोई भी बाधा उन्हें रोक नहीं सकेगी। इसी प्रकार जरायम–पेशा जातियां भी अपने भविष्य के प्रति आश्वस्त हैं। सरकार ने उनके लिए बस्तियां स्थापित कर दी हैं। वहां इन जरायम–पेशा जातियों को रखा जाता है और उन्हें व्यवसाय के लाभदायक हुनर सिखाए जाते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि जल्दी ही वे अपनी गंदी आदतों के दुष्चक्र से छुटकारा पा जाएंगे।

अस्पृश्यों का मामला बिल्कुल अलग तरह का है। उनकी असुविधाएं उन पर थोपी गई हैं। उनका अकेलापन दरअसल अलगाव है। वह उन पर जबरदस्ती थोपा गया है। अस्पृश्यों की समस्या आदिम जातियों की समस्या से अलग है, क्योंकि उनकी अवस्था में अलगाव की बुराइयां अस्पृश्यता के विष के कारण बढ़कर दुगनी–चौगुनी हो जाती हैं। नतीजा यह होता है कि जहां आदिम जातियों की दशा में समस्या का कारण भौगोलिक अलगाव है और वे बेहतरी के अवसरों का लाभ नहीं उठाना चाहते, वहां अस्पृश्यों की दशा में समस्या का कारण है कि उन्हें वास्तव में अवसरों से वंचित किया जा रहा है।

अस्पृश्यों के उद्धार की कोई अधिक आशा नहीं दीख पड़ती। बहरहाल, आदिम जातियों के उद्धार के मुकाबिले उनका उद्धार अधिक कंटकपूर्ण और दुष्कर है। गुलामों की समस्या है कि उन्हें राजनीतिक या आर्थिक अधिकार नहीं दिए जाते। यदि अस्पृश्यों की समस्या उन्हें राजनीतिक और आर्थिक अधिकारों से वंचित किए जाने की है तो उसे कानूनी तथा संवैधानिक उपायों से हल किया जा सकता है। उन्हें राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकारों से वंचित किया गया है, उसका कारण हिंदुओं की सामाजिक मनोवृत्ति है। अस्पृश्यों की समस्या का सीधा संबंध हिंदुओं के सामाजिक व्यवहार से है। अस्पृश्यता तभी मिटेगी, जब हिंदू अपनी मनोवृत्ति बदलेंगे। समस्या यह है कि वह कौन–सा तरीका है, जिससे हिंदू अपनी जीवन–शैली को भुला दें। यह कोई छोटी–मोटी समस्या नहीं है कि कोई समूचा राष्ट्र अपनी बंधी–बंधाई जीवन–शैली को त्याग दे। जीवन–शैली के अलावा जिस शैली के आदी हिंदू हैं, वह ऐसी है जिसे उनका धर्म प्रमाणित करता है। जो भी हो, वे तो ऐसा ही सोचते हैं। उनकी जीवन–शैली को बदलना उनके धर्म को बदलने जैसा ही है।

यह कैसे हो सकता है? केवल तभी, जब यह अनुभव किया जाए कि अस्पृश्यों का त्रास ही हिंदुओं का अपराध है। हिंदुओं की धार्मिक मनोवृत्ति में इस क्रांति के लिए अस्पृश्यों को कितना इंतजार करना पड़ेगा? इसका उत्तर तो वही दें जो भविष्यवाणी करने की योग्यता रखते हैं। इस बीच यह वांछनीय होगा कि उनकी दशा और उनके एवं उनके मित्रों के सामने आने वाली समस्याओं का वर्णन किया जाए।

साभार :
बाबासाहेब डॉ. अम्बेडकर
सम्पूर्ण वाङ्मय खंड–10
पेज संख्या 17 से 37 तक
डॉ. बी. आर. अम्बेडकर

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....
आनन्द मोहन
सेवानिवृत्त संयुक्त आयुक्त
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निदेशालय, कानपुर

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

अजय बौद्ध
सुपरिंटेंडेंट सी.जी.एस.टी.
सर्वोदय नगर, कानपुर

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....
रामनरेश | धर्मेन्द्र सोनकर
महासचिव (आई.टी. सेवा) अध्यक्ष
इनकम टैक्स एस.सी./एस.टी. एम्पलाइस वेलफेयर एसोसिएशन, कानपुर
मो. 7599101755

समस्त सम्मानित क्रमिको एवं नगरवासियों को
अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....
मेवालाल
प्रधान सहायक
अध्यक्ष मिनिस्ट्रयल एसो. लोक निर्माण विभाग, कानपुर क्षेत्र
सम्प्रेक्षक रा.क.स.प.कानपुर

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

मनीष कुमार
प्रोपराइटर
चकेरी गैस सर्विस
222, सदानन्द नगर, अहिरवाँ
मो० 9455857007

प्रकाशनार्थ
राजेश कुमार बौद्ध को काव्य विभूषण सम्मान से सम्मानित

राजेश कुमार बौद्ध को काव्य विभूषण सम्मान से सम्मानित दलित लेखन के प्रख्यात साहित्यकार, कथाकार, सम्पादक एवं समाजसेवी राजेश कुमार बौद्ध को धारदार लेखनी के लिए एवं साहित्य क्षेत्र में सराहनीय कार्य हेतु (इंकलाब पब्लिकेशन ईस्ट थाने, मुम्बई) द्वारा 19 फरवरी 2025 को राष्ट्रीय काव्य विभूषण सम्मान – 2025 से सम्मानित किया है इसके अलावा भारत के कई राज्यों में जैसे उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र आदि राज्यो में कई सम्मान से सम्मनित किये गये हैं मैं इंकलाब पब्लिकेशन मुम्बई महाराष्ट्र के प्रकाशक– श्रेध्दय रमाकान्त यादव (सागर यादव 'जख्मी' जी) का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। इस सम्मान पाने पर हमारे शुभचिंतकों में इंजी. ओम प्रकाश, पारसनाथ जिज्ञासु जी पूर्व अपर आयुक्त, शिवचंद्र राम पूर्व जिला विद्यालय निरीक्षक, हेमवन्त कुमार–एस डी आई, विजय आनंद–एस डी आई, ब्यासदेव–एस डी आई, इंजि. लाल बिहारी, हरिशरण गौतम पूर्व डिप्टी कमिश्नर, रामचन्द्र प्रसाद त्यागी, वाई एल भारती अपर आयुक्त, डॉ. आर एन चंद्रा, डॉ. अरविंद कुमार, डॉ. आर. डी. आनन्द, संत प्रकाश–अपर आयुक्त, डॉ. आर. बी. राम, डॉ. संजय कुमार बौद्ध, इंजि दिनेश कुमार गौतम, डॉ. धनज्य चौधरी, डॉ. कौलेश्वर प्रियदर्शी, डॉ. ओम प्रकाश, डॉ. रमेश चन्द्रा, डॉ. श्रीमती ममता आनन्द, डॉ. दिनेश राव, फागू लाल, डॉ. डी. आर. आनन्द, विनोद कुमार, राम कुमार चंचल, डॉ. श्रीमती नीरा परमार जी, श्रीमती सरिता धारू, रजनीश प्रताप, फुल चंद, जालिम प्रसाद, सतेन्द्र कुमार, सहित तमाम लोगों ने बधाई एवं शुभकामनायें दी। राष्ट्रीय काव्य विभूषण सम्मान हेतु निर्णायक मडल इंकलाब पब्लिकेशन के प्रकाशक एवं अनुगूँज साझा काव्य संग्रह के संपादक एवं प्रकाशक श्रद्धेय रमाकान्त यादव जी (सागर यादव 'जख्मी') की सहमति से ''राजेश कुमार बौद्ध'' को सम्मानित किया गया है।

सह संपादक
हिन्दी मासिक पत्रिका ''प्रबुद्ध विमर्श''
गोरखपुर उत्तर प्रदेश, मो० : 8756947694

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

श्रीकांत सिंह रंगीला

अधिशासी अभियन्ता
केस्को कानपुर
मो० : 9411887808

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

पंकज कुमार

जूनियर अभियन्ता
लघु० सिंचाई विभाग, फतेहपुर
मो० : 8736913880

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

के. पी. वर्मा

उपायुक्त
हथकरघा एवं वस्त्रोद्योग निर्देशालय, कानपुर
मो0 : 9415268129

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

अरविन्द कुमार

प्रबन्धक उ. प्र. कॉपरेटिव बैंक लि.
शाखा डी.ए.वी. कानपुर
मो.: 9956976995

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

आर के आजाद

सेवानिवृत्त सहायक मण्डल प्रबन्धक
भारतीय जीवन बीमा निगम
मण्डल कार्यालय बीमा सेवा विभाग, कानपुर

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

रामचरन

पम्प आपरेटर
कानपुर विकास प्राधिकरण
मो० : 9984251800

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

आर.एल. मौर्य

सहायक सचिव (ग्रा.सं.प्र./दावा)
भा.जी.बी.निगम उ.म.क्षेत्र कार्यालय कानपुर
मो0 9651013399

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

श्री राम गौतम

वरिष्ठ सहायक द्वितीय मण्डल
सिंचाई कार्य कानपुर
मो० : 7355797143

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

रोशन लाल

फोरमैन सिविल इंजी. विभाग
हरकोर्ट बटलर प्राविधिक विश्वविद्यालय, कानपुर
मो० : 9839791024

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

प्रमोद कुमार गौतम

प्रधान सहायक द्वितीय मण्डल
सिंचाई कार्य कानपुर
मो० : 9838159594

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

स्व0 गंगा प्रसाद स्मारक इण्टर कालेज

कटरी, घाटमपुर, कानपुर नगर
मो० : 9936537866

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

जगजीवन राम

प्रशासनिक अधिकारी
मण्डलीय अध्यक्ष
मो.: 9450134953
अखिल भारतीय अनु. जाति जनजाति एवं बुद्धिष्ट
भारतीय जीवन बीमा निगम कर्मचारी कल्याण संघ

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

अंजु प्रभा पति मोतीलाल

निःशुल्क परामर्श

प्रधान सहायक
द्वितीय मण्डल सिंचाई कार्य कानपुर

न्यू हाईवे सिटी, कानपुर, मो० : 9451221601

पहला सुख हम सब ने ठाना है, आयुर्वेद अपनाना है निरोगी काया

आयुर्वेद की असाध्ये रोगों को जड़ से खत्म करने में सफल है। मनुष्य अपने जीवन शैली मे काफी सावधानियों के बाद भी शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो जाता है। जिसका उपचार आयुर्वेदिक उपचार हर्बल लीक्विड प्रोडक्ट के द्वारा सफल है।

100% शुद्ध आयुर्वेदिक किसी भी प्रकार का कोई **Side Effect** नहीं।

- मधुमेह
- टी बी
- पथरी की समस्या
- बवासीर
- बाल का गिरना/झड़ना
- किडनी की समस्या
- लिवर की समस्या
- अनियमित मासिक धर्म
- दाँतो की समस्या

समस्त जनपद वासियों को डा. अम्बेडकर की 134 वीं जयन्ती के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामना

आशाराम त्यागी

निवासी चरखारी जिला महोबा पुत्र श्री घुराम

युवा ब.स.पा. नेता पूर्व जिला सचिव ठेकेदार आबकारी कान्ट्रेक्शन वर्ग

मो० : 9005874795

श्रीमती

किरन त्यागी

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और 🔔 दबायें।

अम्बेडकर जयंती की हार्दिक शुभकामनाएँ ....

अखिल भारतीय अनु0 जाति/जनजाति एवं बुद्धिष्ट

भा0 जी0 बी0 नि0 कर्मचारी कल्याण संघ कानपुर

हरिनाथ कुमार
क्षेत्रीय महासचिव
मो0 : 9415727846

प्रमोद कुमार
अखिल भारतीय सचिव (विधि)
मो0 : 8707339466

सेवा में,

नाम .....

पता .....

.....

.....

चुनौतियों के दौर में चमार

दुनिया का एकमात्र दरोगा अमेरिका की आउट सोर्सिंग और आंतकवाद की समस्या से ग्रस्त है। कभी सोने की चिड़िया कहलाने वाला भारत देश अनेक चुनौतियों के रूबरू है। इस देश की सबसे बड़ी आबादी वाली और ग्राम–स्तर तक में विद्यमान चमार कौम अपने अस्तित्व के संकट से ही जूझ रही है। उसका शिल्पगत व्यवसाय दूसरों ने हथिया लिया है। कृषि में भी उसकी पहले जितनी जरूरत नहीं रही। प्रवासी मजदूर के रूप में भी उसे कोई स्थायी काम नहीं मिल पाता। साल में तीन–चार महीने की मजदूरी से उसका गुजारा नहीं हो रहा है। नये काम के लिए पूंजी और व्यवसाय के लिए प्रशिक्षण भी उसके पास नहीं है।

हर्षवर्धन के बाद राजपूत काल, मुगल काल और अंग्रेजों के शासन में भी उसकी स्थिति दयनीय ही रही। आजादी के बाद अनेक उपजातियों में बंटे होने के कारण उसकी कोई विशेष पूछ नहीं रही। आधा प्रतिशत लोग जो नौकरियों में आ गए हैं, उनकी थोड़ी–सी बेहतरी और खुशहाली भी सामान्य वर्ग को खटक रही है। अज्ञान का अंधेरा भी साए की तरह उसके पीछे लगा है। रूढ़िवादिता, बाह्य आडंवर और कर्मकांड वह छोड़ नहीं पा रहा है। वैसे तो शासन और प्रशासन तथा जन–प्रतिनिधित्व में उसकी सहभागिता दूसरों के मुकाबले ज्यादा है, लेकिन वहाँ भी आपस में दूरियाँ बढ़ने से समस्याएँ जस–की–तस हैं।

ब्राह्मण जैसी तार्किक दृष्टि केवल चमार के पास है उसकी परिश्रमशीलता और उद्यमिता का भी कोई जवाब नहीं। अब अपने अधिकारों के लिए बेहतर सुविधाओं के लिए आंदोलन की राह भी पकड़ने लगा है। राष्ट्र निर्माण में भी यह पीछे नहीं रहा, लेकिन वैश्वीकरण के दौर में कठिन प्रतिस्पर्धा में थोड़े से परिवर्तन का पहिया फिर उल्टा घूमने लगा है आपसी विश्वास, सहकारिता और संवेदनशीलता से इसका दूर–दूर का भी रिश्ता नहीं, जिसके आधार पर दुनिया आगे बढ़ रही है।

अशिक्षा, बेरोजगारी, भुखमरी, बीमारी वैसे तो आम समस्याएँ सभी के सामने हैं, लेकिन चमार इनका सबसे ज्यादा शिकार हैं। गांवों में स्थिति बहुत ही दयनीय है। वर्ण वादियों द्वारा बिछाए जाल से यह अभी तक निकल नहीं पाया है। यह अपनी दयनीय दशा को अपने पूर्व जन्म के कर्मों का फल ही मानता है। 'शिक्षित बनो, और संघर्ष करो संगठित रहो' डॉ. भीमराव अम्बेडकर के मूल मंत्र को भी यह जीवन में नहीं उतार पाया है। दूसरों की तरह सम्मान तथा रोटी, कपड़ा और मकान पाने के लिए खुद कोशिश करनी पड़ेगी।

क्रांतिकारी और समाजवादी चिंतक सरदार भगत सिंह ने सारे देश के अछूतों को जागरूक बनाने के लिए लगभग आठ दशक पहले आह्वान किया था। ''हम तो साफ कहते हैं कि उठो, अछूत कहलाने वाले असली जनसेवकों और भाइयों उठो! अपना इतिहास देखो। गुरु गोविंद सिंह की फौज की असली शक्ति तुम्ही थे। शिवाजी तुम्हारे भरोसे पर ही सब कुछ कर सके, जिस कारण उनका नाम आज भी जिन्दा है। तुम्हारी कुर्बानियाँ स्वर्णाक्षरों में लिखी हुई हैं। तुम जो नित्य प्रति सेवा करके जनता के सुखों में बढ़ोत्तरी करके और जिन्दगी सम्भव बना कर यह बड़ा भारी अहसान कर रहे हो, उसे हम लोग नहीं समझते। उठो, अपनी शक्ति को पहचानों। संगठनबद्ध हो जाओ। अमल में स्वयं कोशिश किए बिना कुछ भी न मिल सकेगा। इंसान की धीरे–धीरे कुछ ऐसी आदतें हो गई हैं कि वह अपने लिए तो अधिक अधिकार चाहता है, लेकिन जो उसके मातहत हैं, उन्हें वह अपनी जूती के नीचे ही दबाये रखना चाहता है। कहावत है ''लातों के भूत, बातों से नहीं मानते। अर्थात् संगठनबद्ध हो, अपने पैरों पर खड़े होकर पूरे समाज को चुनौती दे दो। तब देखना, कोई भी तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से इनकार करने की जुर्रत न कर सकेगा। तुम दूसरों की खुराक मत बनो। दूसरों के मुंह की ओर न ताको। लेकिन ध्यान रहे, नौकरशाही के झांसे में मत फंसना। यह तुम्हारी कोई सहायता नहीं करना चाहती, बल्कि तुम्हें अपना मोहरा बनाना चाहती है। यही पूंजीवादी नौकरशाही तुम्हारी गुलामी और गरीबी का असली कारण है। इसलिए तुम उसके साथ कभी न मिलना। उसकी चालों से बचना। तब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम असली सर्वहारा हो, संगठनबद्ध हो जाओ। तुम्हारी कुछ हानि न होगी। बस गुलामी की जंजीरे कट जाएंगी। सामाजिक आन्दोलन से क्रांति पैदा कर दो तथा राजनीतिक और आर्थिक क्रांति के लिए कमर कस लो। तुम्हीं तो देश का मुख्य आधार हो, वास्तविक शक्ति हो, सोये हुए शेरों! उठो और बगावत खड़ी कर दो।''

समस्याएं आती है और उनका समाधान भी निकलता है, लेकिन आज के जमाने में नया जोश, नए विचार, नए तेवर, नई जागरूकता जो नई पीढ़ी में देखने को मिलती हैं, उससे आशा है कि इस कौम के लिए बराबरी, सम्मान और खुशहाली की मंजिल बहुत दूर नहीं है। बौद्धिक जड़ता खत्म होती जा रही है और खून में गर्मी आ रही है, जो लक्षण है इस बात के, कि हम चुनौतियों पर काबू पाने में बहुत जल्द कामयाब होंगे।

साभार :
चमार जाति इतिहास और संस्कृति
पेज संख्या 120 से 121 तक
एस.एस. गौतम

क्या है DNA रिसर्च?

DNA दोहरा घुमावदार फीता जैसी संरचना है जो क्रोमोजोम्स (सेल की एक रचना) में अवस्थित होते हैं। DNA श्रेणी के एक अंश को जींस (Genes) कहते हैं। Genes ही वह पदार्थ हैं जो माता–पिता के चरित्र को उसकी संतान में स्थान्तरित करता है। स्त्री–पुरुष में 23–23 क्रोमोजोम्स होते हैं जो उनके सेल के न्यूक्लियस में पाये जाते हैं। न्यूक्लियस के क्रोमोजोम्स जो डीएनए में अवस्थित होता है, उसे न्यूक्लियर डीएनए कहते हैं। मिटोंकांड्रिया में भी डीएनए मोलिक्यूल्य होता है, जिसे Mitochondrial DNA कहते हैं। मिटोंकाड्रिया सेल का एक महत्वपूर्ण अंग है जिसे सेल का पावर हाउस कहा जाता है। न्यूक्लियर डीएनए का प्रतिरूप मिटोकांड्रियल डीएनए से दस गुना अधिक परिवर्तनशील होता है। पिता के वीर्य से हॅपलायड क्रोमोजोम का सेट एकत्र होकर माँ के न्युक्लियर एग्स से मिलकर Zygote का निर्माण करते हैं अर्थात् पिता के वीर्य में पाये जाने वाले स्पर्म और माता के अण्डाणु से मिलकर जिगोट बनाते हैं। पिता से प्राप्त 23 क्रोमोजोम्स और माता से प्राप्त 23 क्रोमोजोम्स मिलकर 46 क्रोमोजोम्स बनाता है। पिता के Nuclear chromosomes का सेट की संतान के लिंग का निर्धारण करता है। पिता में 'xy' chromosomes जबकि माता में 'xx' chromosomes होता है। माता का x और पिता का y मिलकर लड़के को और माता का X और पिता का X मिलकर लड़की को जन्म देता है। इस प्रकार एक व्यक्ति का Nuclear DNA उसके पिता के Y chromosomes को तथा उसी व्यक्ति का Mitochondrial DNA उसकी माँ के आनुवांशिक कोड को दर्शाता है। DNA पैतृक आनुवांशिक चरित्र के साथ–साथ उसके आर्य परिवर्तनों को भी उसके अतीत का जीव वैज्ञानिक दस्तावेज की भाँति प्रकट करता है। नमूने के DNA में, एक विशिष्ट क्रम की, control sample से दूरी को मापने के लिए अत्यंत संवेदनशील सांख्यकीय डेटा को प्रयोग में लाया जाता है। Sample DNA अनुक्रम और Control sample को जाँचा जाता है, यदि दोनों के नमूने समान या बहुत ही सादृश्य हों। Sample DNA sequence यदि control sample से मेल नहीं खाता है तो उसे किसी और नियंत्रित अनुक्रम से तुलना कर के देखा जाता है। DNA शोध काफी जटिल एवं पेचीदा होता है किन्तु यह यह स्पष्ट वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करता है। अमेरिका के जेनेटिक लैब में दुनिया के सभी जातियों का क्रोमोजोम्स सुरक्षित है।

साभार :
आनुवांशिक शोध (D.N.A) एवं
विदेशी आर्य–ब्राह्मण
पेज संख्या 45 से 46 तक
डॉ. विजय कुमार त्रिशरण

Youtube पर Dravid Bharat Channel को Subcribe करें और दबायें।